53 47

राजापुरी कालोनी जनसेवा समिति वेलफेयर एसोसिएशन

कार्यालय : जी–122, मेन रोड़, राजापुरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059

Regn. No. : S/17909/1987

क्रमांक RWS/DDA/11-12 दिनांक 20/03/2012

Read Central Dy. No 3
Dated 30-3-012
R&D Section, Vikas Minar
Delhi Development Authority

निदेशक योजना (द्वारका)
पावती संख्या (पत्र) 10 – MPD
दिनांक 10/4/12

कार्यालय निदेशक (क्षे. यो.-2)
पावती संख्या 316
दिनांक 30/3/12

Shri Partho Dhar
Director (Planning)
DDA Zone (A & B)
4th Floor, Vikas Minar
New Delhi - 110002

Subject :- Removal of hindrance area in respect of unauthorised colony Rajapuri, Uttam Nagar, New Delhi exist at Regd. No. 252/1639, Palam A/c.

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 3258
Dated 16/5

Respected Sir,

This is in reference to your valuable advertisement in the various Newspapers asking RWA's to comment and forward valuable suggestions of the irrespective colonies in connection with change/amendment/ Updating of Master Plan 2020.

We bring to your kind attention and for immediate action that our above stated colony is provisionally regularized as one of the unauthorized colonies having Regd. No. 252/1639 as stated above from the Department of Urban Development, Govt. of Delhi, NCT and is 100 % highly populated but unfortunately some hindrance area proposed in zonal plan road has been shown somewhere in the colony. Since the colony is 100 % thickly populated and practically there is no scope at any point for any type of hindrance and it is also to state that this colony is completely free from any type of Govt. acquirement/notification of acquirement till date and further has been one of the oldest existing colonies therefore you are requested to kindly remove any type of hindrance from thecolony at your end. If you feel, you may also visit to the colony for taking up the latest position of the same. We shall be happy to receive you if we are intimated well in time to show you the geography of highly and thickly populated colony.

Thanking you sir in anticipation and assuring you our best co-operation at all times and with best wishes.

With kind regards,

Dy No. 276 (276)
Dt 2/4/12
Plan-II

Yours faithfully
For Jansewa Samiti Welfare Association

President
Omprakash Attry
PRESIDENT
OM PARKASH ATTRY
JAN SEVA SAMITI (Regd.)
G-122, Main Road, Rajapuri,
Uttam Nagar, New Delhi-59

Concerned Dwarka office
Director/AP II
Dy. Dir (Plg) DWK
02/4/12
30/3/12
04/4/12
11.4.12

मौसम

रविवार को दिन में आसमान साफ रहेगा। शाम या रात को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

सूर्य 6:23 (अस्त) ...

तापमान 29.2 (अधि.) 12.4 (न्यून.)

आर्द्रता 90 (अधि.) 30 (न्यून.)

दिल्ली जागरण

अंदर के पन्नों पर

- निगम को खुदी सड़कों की याद आई >> 4
- जेएनयू में लहराया आइसा का परचम >> 5
- विधायक के बेटे से परेशान रूसी युवती >> 6

जागरण सिटी

- रिश्तों की इंद्रधनुषी होली... >> I
- इन्सुलिन पम्प देगा दर्दमुक्त उपचार >> III
- बीस हजार में एमबीए की डिग्री चार पकड़े >> IV

बंद कारखानों पर बनेंगे आशियाने

डीयूएसी ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

राजू सजवान, नई दिल्ली

राजधानी में बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बंद पड़े कारखानों की जमीन पर ग्रुप हाउसिंग की इजाजत दी जा सकती है। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन (डीयूएसी) ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। चैंबर ने यह प्रस्ताव केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजा था, जिस पर मंत्रालय ने डीयूएसी से राय मांगी थी।

मास्टर प्लान-2021 के मुताबिक राजधानी में साल 2021 तक लगभग 24 लाख आवासीय इकाइयों की जरूरत पड़ेगी। इस कमी को दूर करने के लिए मास्टर प्लान में हर पांच साल में लगभग सात लाख मकान बनने चाहिए, जबकि पांच साल पूरे हो चुके हैं और डीडीए लगभग 30 हजार मकान ही बना पाया है। इसी कमी का हवाला देते हुए पीएचडी चैंबर ने पिछले दिनों प्रस्ताव रखा था कि पर्यावरण संरक्षण के उपायों के चलते दिल्ली में पिछले कुछ सालों में सैकड़ों कारखाने बंद हुए हैं। अब इन कारखानों की जमीन खाली पड़ी है, इसलिए सरकार इन जमीनों पर ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनाने की इजाजत दे दे। चैंबर की दलील है कि ग्रुप हाउसिंग

पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं सैकड़ों कारखाने

में कमजोर आय वर्ग (इडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआइजी) के लिए भी मकान बनेंगे, इससे झुग्गियां व अनधिकृत कालोनियां भी नहीं बनेंगी। औद्योगिक इलाकों में मकान बनेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। कई रिहायशी इलाकों में कारखाने अधिक होने के कारण उन्हें औद्योगिक इलाकों में बदल दिया गया तो औद्योगिक इलाकों को भी रिहायशी इलाकों में बदलने की इजाजत दे देनी चाहिए। तर्क है कि मुंबई जैसे शहरों में जहां उद्योगों को दूसरी जगह स्थापित किया गया है, वहां रिहायशी और मिक्स लैंड यूज की इजाजत दी जाती है। प्रस्ताव पर डीयूएसी ने टिप्पणी दी है कि मास्टर प्लान-2021 में कम से कम पांच एकड़ जमीन पर बने कारखानों में ग्रुप हाउसिंग गतिविधियों की इजाजत दी जा सकती है।

सुझाव देकर संवारिए अपनी कॉलोनी

- मास्टर प्लान-2021 में संशोधन की तैयारी
- एमसीडी ने लोकल एरिया प्लान के लिए मांगे सुझाव

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : दिल्ली मास्टर प्लान-2021 लागू होने के पांच साल बाद सरकार ने इसमें लोकल एरिया प्लान शामिल करने का फैसला किया है। लोकल एरिया प्लान के तहत अब आप खुद भी अपनी कॉलोनी को मानकों के अनुरूप आदर्श कॉलोनी बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। आम लोग काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। एमसीडी के चीफ टाउन प्लानर शमशेर सिंह के मुताबिक सरकार से प्राप्त निर्देश के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले एमसीडी के 33 वार्डों के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों के लिए सुझाव मांगे गए है। सुझाव पांच अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे। कॉलोनी चाहे नियमित हो, अवैध, शहरीकृत गांव या फिर जेजे कलस्टर लोग सरकार के बनाए गए प्लान से इतर इसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकते है। सुझाव पत्र, ई-मेल या फिर व्यक्तिगत रूप से एमसीडी के टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारियों तय पहुंचाना होगा। मसलन, कई अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की मांग हो रही है। बतौर कॉलोनी वासी आप बता सकते है कि यहां की मुख्य सड़कें कैसी बनाई जाएं। स्कूल, सामुदायिक केंद्र व अन्य सरकारी दफ्तर आदि कहां बने।

टाउन प्लानिंग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कौन-कौन से सुझाव अधिक कारगर रहेंगे, अगर किसी को इसकी जानकारी चाहिए तो एमसीडी ऑन लाइन .जीओवी .इन पर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से एक प्रश्नावली भी तैयार की गई है। इसके अनुरूप महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते है। एमसीडी कमिश्नर केएस मेहरा ने मांगे गए सुझाव के संबंध में बताया कि एमसीडी मुख्यालय में एक बड़ा थ्री डी नक्शा रखा जाए। कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव देना चाहता है तो वह बकायदा नक्शे पर सबकुछ बताए। लोगों से मिला फीडबैक पारदर्शी दस्तावेज के रूप में अपडेट किया जाएगा।, जिसकी एक प्रति वॉर्ड कार्यालय में रखी जाएगी। मालूम हो कि 1.67 करोड़ आबादी वाली दिल्ली में कुल वैध कॉलोनियों की संख्या 2025 है। वहीं, अवैध (अनाधिकृत) कॉलोनी 1639। जबकि ग्रामीण व शहरीकृत गावों की संख्या 370 के करीब है।

एक नजर

कमिश्नर कार्यालय बनेगा ऑफिसर्स क्लब

नई दिल्ली, जासं: दिल्ली गेट स्थित अंबेडकर स्टेडियम में खाली पड़ा कमिश्नर कार्यालय एमसीडी ऑफिसर्स क्लब में तब्दील होगा। एमसीडी के तीन हिस्सों में विभाजन के बाद नवगठित निकाय किस इमारत में होंगे ये तय हो चुका है। ऐसे में जब अंबेडकर स्टेडियम में फिलहाल खाली पड़े कमिश्नर कार्यालय की उपयोगिता पर सवाल उठे, तो सर्वसम्मति से इसे क्लब में तब्दील करने का फैसला लिया गया। मालूम हो कि चंद महीने बाद तीनों निकायों में सामंजस्य बिठाने के लिए निदेशालय भी होगा। इसमें काम करने वाले अधिकारी तथा तीनों निकायों में आला अधिकारियों की अच्छी खासी संख्या होगी।

युवक को गोली मार ढाई लाख लूटे

नई दिल्ली, जासं: चांदनी चौक से पेमेंट लेकर

मेट्रो ट्रेन के आगे कूदा अधेड़, मौत

सिख संगठनों में अब जुबानी ज

डाबर अ...

प्र.– मेरी बेटी की उम्र ... माह से उसका मासिक ... कमजोरी भी बहुत रहती ...

उ.– आप अपनी बेटी को ... दिन में दो बार तीन माह ... उसे डाबर लोहासव 2 च... भोजन के पश्चात पिलाएं ...

प्र.–मुझे पिछले कुछ दि... बोलते समय पीड़ा होती ... आती है। कृप्या कोई ...

उ.– आप डाबर खदिरादि... चूसें। इसके साथ –साथ ... चम्मच दिन में 2 बार लें ...

प्र.–मेरी उम्र 47 वर्ष ... शिकायत है। पिछले ... कठिनाई हो रही है। ...

उ.– आप डाबर स्वर्ण ... डाबर महारास्नादि क्वाथ ... डाबर रूमाटिल तैल की ...

प्र.– मुझे पुराने दर्द ... मैं एलोपैथी में इलाज ...

निम्नलिखि...

स्वदेशी आयुर्वेदिक, ...

चड्ढा आयुर्वेदिक स्टोर ...

शिवशक्ती दवाखाना ...

गोपाल आयुर्वेदिक स...

लूथरा दवाखाना, दि...

Dabur India Limited

48